

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 11/2025-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर, 2025

सा.का.नि....(अ).- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिश पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 668(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, का निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "18%" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

(धीरज शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 3/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 668(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 557 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2022 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 08/2022- एकीकृत कर (दर), दिनांक 13 जुलाई, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।